खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 09/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आशीष अग्रवाल व अन्य

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.
खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 09/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/13

सायल :-

भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

बनाम

गैर सायल :-

1. आशीष अग्रवाल पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल निवासी आदर्श कॉलोनी सुमेरपुर जिला पाली मैसर्स लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज ई-17 जाखामाता इन्डस्ट्रयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली (मैनेजर)
2. श्री रामगोपाल अग्रवाल पुत्र श्री हजारीमल निवासी आदर्श कॉलोनी मैसर्स लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज ई-17 जाखामाता इन्डस्ट्रयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली (फर्म मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

-:निर्णय:-

दिनांक: 21.04.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 29.05.2023 को दर्ज किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली दिनांक 14.12.2022 को 03.30 पी0एम0 बजे निरीक्षण के दौरान मैसर्स लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज ई-17 जाखामाता इन्ड्रस्टीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली पहूंचें फैक्ट्री में आशीष अग्रवाल पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल (फर्म मैनेजर) का मैंने बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी परिचय देकर फर्म मैनेजर व गवाहों उपस्थित की उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में एक टैंक में 100 लीटर फिल्टर सरसो का तेल रखा हुआ था। जिससे आशीष अग्रवाल बोतल में पैक कर सरसो का तेल आम जनता को विक्रय करने के लिए अपने कब्जे में रखे हुए था।

यह कि, निरीक्षण के दौरान फिल्टर सरसो का तेल (100 लीटर) जो एक टैंक में भरा हुआ था, उक्त में मिलावट का संदेह होने पर सरकारी जांच हेतु फिल्टर सरसो तेल का नमूना लेने की इच्छा जाहिर कर फॉर्म नम्बर 5ए भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर मेरे साथ आए आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा, को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाये व मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर फॉर्म की एक प्रति फैक्ट्री मैनेजर आशीष अग्रवाल पुत्र श्री रामगोपाल को देकर यह सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

यह कि, फिल्टर सरसो का तेल जो एक टैंक में रखा हुआ था, जिसमें कुल 1600 एमएल जांच हेतु खरीदा, जिसका नकद भुगतान (अक्षरे 450/- रुपये का भुगतान) जरिये रसीद के किया गया। उक्त फिल्टर सरसो के तेल को चार प्लास्टिक बोतल जो साफ सुखी व खाली थी में बराबर मात्रा में भरकर शिशी में एयर टाइट ढक्कन लगाकर बन्द किया व नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक नमूने पर चिपकाई। प्रत्येक नमूने को अलग-अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेटकर लपेटे गये कागज के दोनो सिरों को गौंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूने पर अभिहित अधिकारी एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप आर-1609 प्रत्येक नमूने पर एक पेपर स्लीप एराउण्ड देकर चिपकाई गई व प्रत्येक नमूने को चारो तरफ से नियमानुसार मजबूत एवं मोटे धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूने पर चार चार उपर नीचे दाये बाए चपडी लगाकर ब्रास सील से सीलबंद किया। चारो सीलबंद पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनो पर मुल्जिम व गवाहो के हस्ताक्षर रेपरिंग पेपर व पेपर स्लीप क्रॉस करते हुए करवाये गये व मौके पर ही मुल्जिम व गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई जिसे मौके पर मुल्जिम व गवाहों को पढ़कर सुनाई तथा उनके द्वारा सही मानकर मंजुर किये जाने पर मुल्जिम व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये।

यह कि, नमूना संख्या आर- 1609 जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाने हेतु फॉर्म नम्बर 06 पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में उपयोग किया गया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 09/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आशीष अग्रवाल व अन्य

था अंकित कर तैयार किया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्रास सील से सील किया जिसका प्रयोग इन चारो नमूनों को सील बंद करने में किया गया एवं आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फॉर्म नम्बर 6 की दो प्रति रखकर खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर का पता अंकित कर ब्रास सील द्वारा लिफाफे को सील बंद किया । आउटर कवर सील नमूना एवं सीलबंद नमूना चन्द्रेश कुमार चतूर्थ रेणी कर्मचारी कार्यालय हाजा दिनांक 14.12.2022 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की।

नमूनों के शेष द्वितिय,तृतीय एवं चतूर्थ भाग मय फॉर्म नम्बर 6 की एक एक प्रति आउटर कवर में लपेटते हुए ब्रास सील से सील कर सील्ड अवस्था अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा अधिकारी पाली को 14.12.2022 को जमा कराकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की।

यह कि, उक्त फिल्टर सरसो का तेल 400 एमएल का नमूना आर–1609 की जांच कर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट एल.एस.2066/एक्ट/2022/20657 दिनांक 22.12.2022 अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को भेजी जिसमें अभिहित अधिकारी मु. चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में नमूने की जांच रिपोर्ट चार प्रतियों में प्राप्त की। उक्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त फिल्टर सरसो का तेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। जांच की प्रति जरिये नोटिस मालिक मैसर्स लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज ई–17 जाखामाता इन्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली को जरिये डाक से प्रेषित कर सूचना दी गई कि उक्त नमूने की पुनः जांच करवाना चाहते हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर–भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है। फर्म मालिक द्वारा नमूने की द्वितिय जांच हेतु अपील आवेदन किया गया अभिहित अधिकारी पाली द्वारा अपील स्वीकार कर रेफरल लैब पूणे में जांच रिपोर्ट RFL/p/do/03/23/261/2023 Date 02.05.2023 प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से नमूना अवमानक पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी पाली ने सम्पूर्ण जांच कर पत्रावली पेश करने हेतु निर्देशित किया।

उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि अभियुक्त (1) श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री राम गोपाल अग्रवाल निवासी आदर्श कॉलोनी सुमेरपुर मैसर्स लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज ई–17 जाखामाता इण्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली (मैनेजर) श्री रामगोपाल अग्रवाल पुत्र श्री हजारीमल निवासी आदर्श कॉलोनी मैसर्स लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज ई–17 जाखामाता इण्डस्ट्रीयल एरिया सुमेरपुर जिला पाली (फर्म मालिक) ने एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है। जिसकी सजा का प्रावधान एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 52 के तहत दण्डनीय है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। नियत दिनांक को अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित हुए। काबिल अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. पद संख्या 01 इस्तगासा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है मुस्तगिस स्वयं साबित करें।
2. पद संख्या 02 इस्तगासा गलत होने से अस्वीकार है। मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज सुमेरपुर में आशीष अग्रवाल का इस फर्म से कोई लेना देना ही है बल्कि आशीष अग्रवाल सरस्वती ट्रेडिंग कम्पनी सुमेरपुर का प्रोपराईटर है जिसका सबुत साथ में पेश है। जिससे मुस्तगिस द्वारा यह लिखना कि फर्म मैनेजर व गवाहो की उपस्थिति में फैक्ट्री का निरीक्षण किया गलत होने से अस्वीकार है। अन्य पद गलत होने से अस्वीकार है। जबकि पैरा न. 03 इस्तगासा में यह लिखा कि "स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय हाजा को गवाह बनाना लिखा है।" इस तरह स्वतंत्र गवाह नहीं होने से इस्तगासा काबिल खारिज के है। Cr.L.J. 2012 Gauhati page-1935
3. पद संख्या 03 इस्तगासा गलत होने से अस्वीकार है फर्म मैनेजर आशीष अग्रवाल नही होने से एवं स्वतंत्र गवाह भी नहीं होने से इस्तगासा काबिल खारिज है
4. पद संख्या 04 इस्तगासा गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 04 इस्तगासा में यह बताया गया गया है कि " फैक्ट्री में फिल्टर सरसों का तेल एक टैंक में रखा हुआ था। जिसमें 1600 एम.एल. जांच हेतु खरीदा लेकिन तेल को हिलाकर (Churning) नमूना लेना कहीं नहीं बताया है। जिससे जांच रिपोर्ट में आंशिक अन्तर आ सकता है एवं आंशिक अन्तर की वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि नमूना मिलावट युक्त है। रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 में मात्र आंशिक अन्तर ही है। एव सैकण्ड रिपोर्ट पूणे लेबोरेट्री की प्रस्तुत नहीं हुई है एवं अन्य कथन गलत होने से अस्वीकार है, जिससे इस्तगासा काबिल खारिज के है। Cr.L.J. 2014 (MP) page-2996

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 09/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आशीष अग्रवाल व अन्य

5. पद संख्या 05 इस्तगासा गलत होने से अस्वीकार है। मुलजिम न. 01 आशिष का इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है इस फर्म के प्रोपराईटर मुलजिम न. 02 रामगोपाल है। रामगोपाल की उपस्थिति में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। न उन्होंने किसी कार्यवाही को सही माना न रामगोपालजी के कही हस्ताक्षर करवाये। जिससे इस्तगासा काबिल खारिज के है।
6. पद संख्या 06 इस्तगासा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
7. पद संख्या 07 इस्तगासा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
8. पद संख्या 08 इस्तगासा का यह जवाब है कि पूणे की जांच रिपोर्ट दिनांक 02.05.2023 प्रस्तुत नही होने से एवं इस्तगासा में तेल हिलाकर नमूना लेने का कहीं भी विवरण नहीं होने से आंशिक अन्तर आ सकता है रिपोर्ट दिनांक 22.12.2022 में मात्र आंशिक अन्तर 1 Butyro Refractometer Reading at 40 C में 58 से 60 की जगह 56.97 रिजल्ट है एवं 2. BSaponFication Value 168 से 177 की जगह 179.49 रिजल्ट है। जो मात्र आंशिक है जो अन्तर सेम्पल हिलाकर नहीं लेने से आ सकता है। एवं द्वितीय जांच पूणे की रिपोर्ट दिनांक 02.05.2023 की प्रति श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसका जवाब माकुल प्रस्तुत होने पर दिया जायेगा एवं स्वतंत्र गवाह नहीं होने से इस्तगासा काबिल खारिज के है।
9. पद संख्या 09 इस्तगासा गलत होने से अस्वीकार है। मुलजिम न. 01 का इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है एवं पद संख्या 8 जवाब के अनुसार एवं मिथ्या छाप की कोई रिपोर्ट नहीं होने से सम्पूर्ण इस्तगासा काबिल खारिज के है। अतः इस्तगासा जवाब मुलजिमान की ओर से पेश कर निवेदन है कि विरुद्ध इस्तगासा खारिज फरमावें।

प्रार्थीपक्ष बहस हेतु उपस्थित नहीं होने से काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष की बहस सुनी गई, जिन्होंने जवाबपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए:–

1. Dwarika Prasad Vs. State Of Assam (Gauhati Highcourt) 2012 CRI.L.J. 1935
2. Ramesh Chandra Vs. State Of Madhya Pradesh (M.P. Highcourt) 2014 CRI. L.J. 2996

काबिल अधिवक्ता अप्राथीपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजो का विश्लेषण किया गया।

मुलजिमान अप्रार्थीगण ने उनके विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत् अवमानक (Sub-Standard) श्रेणी के खाद्य तेल के भण्डारण एवं विक्रय के विरोध में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी संख्या एक श्री आशिष अग्रवाल मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज सुमेरपुर में प्रार्थना पत्र के कथनानुसार न तो फर्म मैनेजर है और न ही उसका उक्त फर्म से कोई संबंध है। बल्कि श्री आशिष अग्रवाल सरस्वती ट्रेडिंग कम्पनी सुमेरपुर का प्रोपराईटर है। अप्रार्थीगण ने जवाबपत्र के पैरा 05 में कथन किया है कि जैर दरख्वास्त आलोच्य फर्म के प्रोपराईटर मुलजिम नम्बर दो श्री रामगोपाल है एवं चूंकि श्री रामगोपाल की उपस्थिति में उक्त कार्यवाही सम्पादित नहीं हुई है और न ही प्रार्थीपक्ष द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही में किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर करवाए है, अतः उनके विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा काबिल खारिज है।

अप्रार्थीपक्ष ने अपने जवाबपत्र में यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि खाद्य तेल का सैम्पल लेते समय प्रार्थीगण द्वारा उक्त तेल को हिलाकर (Churning) नमूना नहीं लिया गया, जिससे जांच रिपोर्ट में आंशिक अन्तर की वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि नमूना मिलावट युक्त है। अप्रार्थीपक्ष द्वारा उठाए गए उपरोक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया

विचाराधीन इस्तगासे पर अप्रार्थीगण के विवरण से स्पष्ट है होता है कि अप्रार्थी संख्या एक श्री आशिष अग्रवाल अप्रार्थी संख्या दो श्री रामगोपाल अग्रवाल का पुत्र है। जैर इस्तगासा आलोच्य फर्म मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज के पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से उक्त फर्म अप्रार्थी संख्या दो से अवश्य संबंधित है, किन्तु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) खाद्य व्यापार संचालक (Food business Operator) के साथ साथ ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर भी दायित्व अधिरोपित करती है, जो उक्त खाद्य व्यापार संचालक की ओर से उक्त कार्य करता है। प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 14.12.2022 को सम्पादित कार्यवाही के वक्त अप्रार्थी संख्या 02 श्री रामगोपाल अग्रवाल के पुत्र अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर मिले, जिनकी उपस्थिति में सैम्पलिंग की कार्यवाही प्रभाव में लाई गई, जिसके प्रमाणस्वरूप मौका फर्द पत्रावली में सलंग्न है। अतः अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आलोक में संधारणीय नहीं है कि चूंकि फर्म श्री रामगोपाल अग्रवाल से संबंधित है एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
RTO

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 09 / 2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम आशीष अग्रवाल व अन्य

उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही किये जाने से प्रकरण खारिज किया जाए। ऐसी कार्यवाहियों में यह भी स्वभाविक है कि स्वतंत्र गवाहों के रुप में तरदीक करने हेतु कई बार आम व्यक्ति अथवा पड़ौसी व्यापारी तैयार नहीं होते है। किन्तु इस आधार पर सैम्पलिंग की सम्पूर्ण कार्यवाही को दुषित करार नहीं दिया जा सकता, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है। मौके पर उपलब्ध खाद्य कारोबारकर्ता श्री आशिष अग्रवाल ने संलग्न मौका फर्द पर हस्ताक्षर भी अंकित किया जाना प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है। अप्रार्थीपक्ष ने अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि खाद्य तेल का नमूने लेते वक्त हिलाकर (Churning) नमूना नहीं लिया गया, जिससे जांच रिपोर्ट में आंशिक अन्तर आ सकता है एवं आंशिक अन्तर की वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि नमूना मिलावटयुक्त है। अप्रार्थीगण द्वारा यह तर्क प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष न तो नमूना लेते वक्त एव न ही अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करते समय ही उठाया गया। प्रश्नगत खाद्य तेल के नमूनें की दो बार जांच होने के उपरांत भी उक्त खाद्य सामग्री अवमानक श्रेणी (Sub-Standard) की ही पाया जाना सिद्ध हुआ है। अतः प्रक्रियात्मक त्रुटि संबंधी उनका यह तर्क वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में सिद्ध नहीं माना जा सकता।

साराक्षतः, प्रश्नगत फर्म मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, सुमेरपुर से सरसों के तेल का नमूना आर–1609 खाद्य प्रयोगशाला, जोधपुर एवं रेफरल लैब, पूणे, अर्थात दोनो प्रयोगशालाओं में जांच के दौरान 'अवमानक'(Sub-Standard) श्रेणी का पाया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) का जुर्म प्रमाणित पाया जाता है, तथा जुर्माना अधिरोपण का निश्चय किया जाता है।

चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा ज़ेर ट्रायल सरसों के तेल का कोइ बिल या इन्वॉइस प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि उक्त 100 लीटर माल की विक्रय कीमत का ज्ञान हा सके। किन्तु प्रार्थी द्वारा इस्तगासे में किए अंकन अनुसार सैम्पलिग (नमूनें) हेतु 1600 मि.ली. तेल का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को 450/–रुपये मात्र का भुगतान किया गया था। इस आधार पर वक्त कार्यवाही प्रतिष्ठान उपलब्ध कुल सौ लीटर सरसों के तेल का विक्रय मूल्य लगभग 30,000/– रुपये बनता है। **अतः अधिनियम, 2006 की धारा 49(a) में अंकित प्रावधान के अनुषंगी अप्रार्थीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत प्रश्नगत खाद्य तेल के विक्रय मूल्य का 50% अर्थात् कुल राशि 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है।** साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगणों से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

क्रमांक / फाईल / खा.सु.प्र.स.09 / 2024 / 2025 / 516-18

दिनांक : 21/04/25

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. श्री भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

Scanned with OKEN Scanner